कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 823 / 2021 / 10–11 / 1408 भोपाल, दिनांक 21/04/2022

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–**Diversion of 631.39 ha (instead of 622.783 ha) forest land of Survey No. RF-276, 281 & PF -277, 278, 279, Village- Muhair and Padri, Range Baidhan in Singrouli Forest Division for Block-B Expansion Opencast Coal Mining in favour of M/s Northern Coalfield Limited in Singrauli District of Madhya Pradesh (Online No. FP/MP/MIN/44294/2020) - reg.**

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-08/2021-FC दिनांक 08 / 03 / 2022

––0––

महोदय,

इस प्रस्ताव पर FAC द्वारा दिनांक 21.02.2022 को विचार किया गया था। FAC द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार करने के उपरांत निम्न कार्यवाहियां करने के लिये राज्य शासन को निर्देशित किया है :–

i. The State Government shall explore more options on non-forest land/existing voids created by mining activities for dumping.

ii. The State Govt. shall verify and intimate, whether the voids created in Old Gorbi Mine are in forest land or otherwise. In case the same are in forest land, the status of permission for dumping fly ash under the provisions of FCA, 1980 shall be intimated. The status of Environmental Clearance under Environment Protection Act, 1986 shall also be intimated.

iii. The capacity of the voids created by the Old Gorbi Mine and the capacity still to be utilised shall be verified. The State govt. shall also explore the possibility of using the said void together with NTPC. In this regard the use of modern technology like conveyor belts can also be made for reducing the transportation through Trucks/dumpers.

iv. In case the rehabilitation process from non-forest land in adjoining area is not cost effective, then the State Government shall explore other nearby Non-forest areas in this regard. The possibility of transportation through the conveyor belts may also be explored.

उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के पालन में बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

(i) प्रस्तावित B–ब्लॉक खदान से निकलने वाले ओवर बर्डन को किसी पूर्व से स्थापित गड्ढे (existing voids) में डालने की खोज करने पर यह पाया गया कि NCL की पुरानी गोरवी खदान 03 गड्ढे इस उद्देश्य के अनुसार उपलब्ध है। इन 03 गड्ढों

की माप गूगल से करने पर यह तीन गड्ढे क्रमशः 28 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर तथा 40 हेक्टेयर के पाये गये। इन तीन गड्ढों की KML फाईल परिशिष्ट–1 में संलग्न है। इन तीन गड्ढों में से 40 हेक्टेयर के गड्ढे में माननीय NGT के आदेशानुसार NTPC द्वारा उनके थर्मल पावर स्टेशन से उत्पादित राख को डम्प किया जा रहा है। यह कार्य माननीय NGT के आदेश पर किया जा रहा है। इसलिये NCL की प्रस्तावित B–ब्लॉक खदान के ओवर बर्डन को इस गड्ढे में डम्प करने के लिये निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

गोरवी खदान के अन्य 02 डम्प क्रमशः 28 हेक्टेयर तथा 8 हेक्टेयर के है। इन दोनों गड्ढों की गहराई लगभग 70 मीटर की है। इन दोनों गड्ढे में लगभग 17 मिलियन घनमीटर ओवर बर्डन डाला जा सकता है। ब्लॉक–B खदान से लगभग 597.48 मिलियन घनमीटर ओवर डम्प द्वारा निकालना सम्भावित है। अतः गोरवी में पूर्व से निर्मित 02 गड्ढों में B–ब्लॉक से निकलने वाले ओवर वर्डन का मात्र 3% से कम भाग ही समाहित हो सकता है। अतः ब्लॉक–B के ओवर बर्डन को पुराने गड्ढों में डालने का विकल्प समाधान कारक नहीं है।

(ii) पुरानी गोरवी खदान तीन टुकड़ों में क्रमशः 28 हेक्टेयर, 8 हेक्टेयर तथा 40 हेक्टेयर में है। इन 03 टुकड़ों में से 26 हेक्टेयर तथा 8 हेक्टेयर की खदानों का भाग वनक्षेत्र में हैं, जबकि 40 हेक्टेयर खदान का कोई भी भाग वनक्षेत्र में नहीं है। NTPC द्वारा NGT के आदेश पर 40 हेक्टेयर को Pit में राख डाली जा रही है जो वनक्षेत्र नहीं है। अतः प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं है।

(iii) जैसा कि बिन्दु क्रमांक–1 में विवरण दिया है कि पुरानी गोरवी खदान के गड्ढों में ब्लॉक–B से निकलने वाले ओवर बर्डन का 3% से भी कम भाग भरा जा सकता है। अतः यह विकल्प उपयोगी नहीं है।

(iv) NCL के अधिकारियों से चर्चा करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ओवर बर्डन का 5 कि.मी. से अधिक दूरी का परिवहन डम्पर से किया जाना सम्भव नहीं है। इससे अधिक की दूरी पर ओवर बर्डन डालना वित्तीय दृष्टि से सही नहीं बैठता है। अतः प्रस्तावित ब्लॉक–B खदान के चारों ओर 5 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र की KML फाईल तैयार की गई। इस परिधि में का कुल क्षेत्र 18367 हेक्टेयर आता है। इस 18367 हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 6940 हेक्टेयर वनक्षेत्र तथा शेष 11427 हेक्टेयर गैर वनक्षेत्र आता है। इस 18367 हेक्टेयर की KML फाईल परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। इस KML फाईल में वनक्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र में आने वाले रकबे को क्रमशः हरे रंग एवं सफेद रंग से दर्शाया गया है।

NCL के अधिकारियों से हुई चर्चा में इनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ब्लॉक–B से लगभग 597.42 मिलियन घनमीटर ओवर बर्डन उत्पादित होगा। इस 597.42 मिलियन घनमीटर ओवर बर्डन में से लगभग 90.24 मिलियन घनमीटर ओवर

बर्डन को NCL की ब्लॉक–B में गैर वनभूमि पर बने 429.10 हेक्टेयर के डम्प पर डाला जा सकता है। NCL के अधिकारियों से हुई चर्चा के अनुसार ब्लॉक–B में 429.10 हेक्टेयर गैर वनभूमि पर बने इन डम्प की ऊचाई यदि 90 मीटर से बढ़ाकर 120 मीटर कर दी जाती है तो अतिरिक्त रूप से लगभग 110.39 मिलियन घनमीटर ओवर बर्डन और डाला जा सकता है। इस प्रकार ब्लॉक–B में गैर वनभूमि पर बने 429.10 हेक्टेयर डम्प पर 90.24 + 110.39 = 200.63 मिलियन घनमीटर ओवर बर्डन डाला जा सकता है। इस ओवर बर्डन को कम करने पर शेष ओवर बर्डन की मात्रा लगभग 396.79 मिलियन घनमीटर रह जायेगी। NCL के अधिकारियों से चर्चा अनुसार इस 396.79 मिलियन घनमीटर ओवर बर्डन डालने के लिये लगभग 728 हेक्टेयर गैर वनभूमि की आवश्यकता होगी।

ब्लॉक–B खदान के 5 कि.मी. के दायरे में आने वाले 11427 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से लगभग 3103 हेक्टेयर कोल बियरिंग क्षेत्र है। इस 3103 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से कुछ भूमि में से वर्तमान में कोयला खनन भी हो रहा है तथा शेष क्षेत्र में आने वाले समय में कोयले का खनन होगा। अतः इस 3103 हेक्टेयर गैर वनभूमि को ओवर बर्डन डम्प करने हेतु चयनित नहीं किया गया है। शेष लगभग 8300 हेक्टेयर क्षेत्र का परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर 728 से 734 हेक्टेयर तक की उपलब्धता 04 स्थानों पर पाई गई। इन 04 स्थलों की KML फाईल परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। KML फाईल में इन 04 स्थलों को क्रमश A, B , C एवं D में दर्शाया गया है। इन 04 स्थानों में आने वाले ग्रामों की संख्या तथा जनसंख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक	ब्लॉक क्रमांक	ग्रामों की संख्या	कुल जनसंख्या
1	A	10	8696
2	B	7	10795
3	C	7	11265
4	D	12	10808

यह जनसंख्या वर्ष 2011 की गणना के अनुसार है। वर्तमान में इन सभी ब्लॉक में कुल जनसंख्या 12000 से अधिक है। NCL के अनुसार इन ग्रामों के विस्थापन पर होने वाले व्यय का आकलन करने पर IRR ऋणात्मक (Negative) आता है। अतः सभी 04 विकल्पों में से कोई भी विकल्प मान्य योग्य नहीं है।

NLC के अधिकारियों से विचार विमर्श करने पर एक विकल्प यह सामने आया है कि ब्लॉक–B में कक्ष क्रमांक 278 में एक internal dump है। इस internal dump के साथ यदि 253.993 हेक्टेयर का वनक्षेत्र ले लिया जाता है तथा डम्प की ऊचाई 90 मीटर से बढ़ाकर 120 मीटर कर दी जाती है तो इस वनक्षेत्र 396.79 मिलियन घनमीटर ओवर डम्प को डाला जा सकता है।

पूर्व में ओवर बर्डन हेतु आवश्यक 559.416 हेक्टेयर में से आवश्यक 253.993 हेक्टेयर वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	कक्ष क्रमांक	ओवर बर्डन हेतु आवश्यक रकबा	
		पूर्व में प्रस्तावित	वर्तमान में प्रस्तावित
1	PF-277	9.7	9.7
2	PF-278	129.663	129.663
3	PF-279	214.637	114.63
4	PF-281	205.416	0.00
		559.416	**253.993**

इस प्रकार ओवर बर्डन डालने के लिये आवश्यक वनक्षेत्र 559.414 हेक्टेयर से कम होकर 253.993 हेक्टेयर रह जावेगा। इस प्रकार प्रस्ताव में चाही गई वनभूमि में 305.421 हेक्टेयर की कमी आवेगी तथा आवश्यक वनक्षेत्र का रकबा 631.39 हेक्टेयर से कम होकर यह 325.969 हेक्टेयर रह जायेगा। ओवर बर्डन हेतु प्रस्तावित इस 253.993 हेक्टेयर वनक्षेत्र में अपेक्षाकृत कम घनत्व का वनक्षेत्र है जबकि छोड़ा जाने वाला 305.421 हेक्टेयर वनक्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक घना है। इस 325.969 हेक्टेयर वनक्षेत्र की कमी होने पर प्रस्ताव मे प्रभावित वृक्षों की संख्या 2.10 लाख से कम होकर लगभग 1.00 लाख रह जावेगी। प्रस्तावित 325.969 हेक्टेयर वनक्षेत्र की KML फाईल परिशिष्ट–4 में संलग्न है।

अतः इस प्रकरण में निम्न 02 विकल्प उपलब्ध है :–

1. ओवर बर्डन हेतु गैर वनभूमि की उपलब्धता तो है परन्तु विस्थापन (R&R हेतु) राशि अत्यधिक होने के कारण आवेदक संस्था को यह वित्तीय रूप से मान्य (viable) नहीं है।
2. NCL द्वारा ओवर बर्डन हेतु 559.416 हेक्टेयर वनक्षेत्र मांगा गया है। इसे कम करने वाले 253.993 हेक्टेयर वनक्षेत्र को मान्य करने पर इस परियोजना के लिये कुल 325.969 हेक्टेयर (253.993 ओवर बर्डन डालने + 71.976 खनन हेतु = 325.969 हेक्टेयर) वनभूमि की आवश्यकता होगी। इस विकल्प पर यदि विचार किया जाता है तो प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण दुगने बिगड़े वनक्षेत्रों में करने की शर्त अधिरोपित करने के साथ–साथ इस अतिरिक्त शर्त लगाये जाने पर भी विचार किया जा सकता है कि आवेदक इस खदान में पूर्व से गैर वनभूमि पर स्थापित 429.10 हेक्टेयर के डम्प को पूर्ण भरने के बाद इस पर रोपण करने के उपरांत वन विभाग को हस्तांतरित करेगा तथा वन विभाग इसे वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेगा।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

21/4/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल